दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकलांगों को दुकानों/खोखों का आवंटन

1719. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकलांगों को प्राथमिकता के आधार पर दुकानें/खोखे प्रदान करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा पद भार ग्रहण करने के बाद उपाध्यक्ष को कितने आवेदन पत्र समिति के सामने रखने का आदेश दिया गया है ;

(ग) क्या ये सभी आवेदन पत्र समिति के समक्ष रख दिये गये हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उन आवेदकों के नाम व पते क्या हैं जिनके आवेदन पत्र रद्द कर दिये गये हैं तथा उसके क्या कारण है;

(ङ) क्या उन सभी आवेदकों को जिनके आवेदन पत्र रद्द किये गये है, उनके आवेदन पत्रों में पाई गई खामियों की सूचना दे दी गई है ताकि वे उन खामियों को दूर करके पुन: आवेदन कर सकें और उन्हें समिति के समक्ष रखा जा सके; और

(च) यदि नहीं, तो उन्हें इसकी सूचना कब तक दे दिये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को दुकान/कियोस्क आवंटित करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की है। तथापि, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के मामलों सहित अनुकम्पा के पात्र मामलों में बिना बारी आवंटन पर विचार करने के लिए शहरी विकास मंत्री तथा उप-राज्य पाल, दिल्ली शामिल हैं।

(ख) वर्तमान अध्यक्ष ने पदभार सम्भालने के पश्चात् सितम्बर, 93 जब बिना बारी आवंटन समिति की पिछली बैठक हुई थी, तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को बिना बारी आवंटन समिति समक्ष 12 मामले प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

(ग) जी, हां। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सितम्बर, 1993 तक प्राप्त हुए सभी मामले समिति के समक्ष 18-10-93 को हुई बैठक में प्रस्तुत किये गये थे।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) तथा (च) समिति ने शारीरिक रूप से विकलांग केवल एक ही व्यक्ति के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाही थी और अब जानकारी प्राप्त कर ली गई है। इस प्रकार कोई मामला अस्वीकृत नहीं किया गया था और इसलिए सूचित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Working of DDA

1720. PROF. VUAY KUMAR MALHOTRA:Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the C.A.G. has commented upon adversely the working of the D.D.A. in the past;

(b) if so, the details thereof;

(c) the action taken thereon ;

(d) the steps proposed to be taken either to improve the working of the D.D.A. or to hand it over to the Government of Delhi and

(e) the reasons for the delay in the bifurcation of the D.D.A. and the time by which the same will be done ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON) : (a) to (c)